मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2005 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2005 (फाल्गुन 20, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रुस्तम सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक, वित्तीय वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री ऊर्जा -

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, तथा

(ख) विद्युत अधिनियम,2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(i) क्रमांक 394/एमपीईआरसी/2005, दिनांक 14 फरवरी, 2005,

(ii) क्रमांक 1902-विनिआ-04, दिनांक 13 जुलाई, 2004 ; तथा

(iii) शुद्धि पत्र क्रमांक 3004 मप्रवनिआ-2004, दिनांक 1 नवम्बर, 2004,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री आरिफ अकील, मनमोहन शाह बट्टी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, कटनी में क्षेत्रीय विधायक पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामनिवास रावत, डॉ. नरोत्तम मिश्रा. श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में ओलावृष्टि से फसलों की क्षति होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री बृजेन्द्र तिवारी, गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, प्रदेश के चंबल संभाग के जिलों में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य प्रारंभ न होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रामदयाल प्रभाकर, सदस्य, दतिया जिले के गन्ना उत्पादक किसानों को डबरा शुगर मिल द्वारा गन्ने की राशि का भुगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में नकली घी का कारोबार चलने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) डॉ. सुनीलम्, सदस्य, बुरहानपुर जिले में आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे न दिये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री के.डी. देशमुख, सदस्य, बालाघाट जिले में अल्पवर्षा के कारण धान की फसल को क्षति होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री हरीवल्लभ शुक्ला, सदस्य, शिवपुरी जिले के नागदा बांध गजोरा, पिछोर में अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री अजय सिंह "राहुल भैया", आरिफ अकील, सदस्य, प्रदेश के कई जिलों में मिट्टी के तेल की कालाबाजारी किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में मारपुरा डडूआ के निकट नहर फूटने से फसल की क्षति होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री बोधसिंह भगत, के.डी. देशमुख, सदस्य, बालाघाट जिले की खैरलांजी एवं कटंगी तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने के बावजूद सूखा राहत कार्य प्रारंभ न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, दतिया जिले में चार व्यक्तियों का अपहरण होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री तुकोजीराव पवार, सदस्य, देवास जिले के पहाड़ शंकरगढ़ के समीप भूमि पर अवैध उत्खनन किये जाने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री आरिफ अकील, राजेश पटेल, सदस्य, होशंगाबाद जिले के पवारखेड़ा स्थित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के केशियर के साथ लूटपाट करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री आरिफ अकील, राजेश पटेल, सदस्य, भोपाल जिले के ग्राम गेहूंखेड़ा में पुलिस अधिकारी के निवास पर हमला करने वालों को गिरफ्तार न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

(16) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल नगर स्थित विद्यानगर में महिला की हत्या करने वाले हत्यारों को गिरफ्तार न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) डॉ. सुनीलम्, सदस्य, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री राजेश पटेल सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्णा एवं सौंसर क्षेत्र में हाईब्रीड कपास उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य न मिलने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम पातालगढ़ में अज्ञात बीमारी से बच्चों की मृत्यु होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री मुन्ना सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के मेहगांव स्थित दुग्धशीत केन्द्र से प्रदूषित पानी बहाये जाने की ओर राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, भोपाल स्थित बड़े एवं छोटे तालाबों में सीवेज का पानी मिलने से प्रदूषण होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के अनेक ग्रामों में रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री छोटेलाल सरावगी "खुद्दी भैया", सदस्य, शहडोल जिले की सोहागपुर तहसील के ग्रामों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि अन्य लोगों के नाम किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) सर्वश्री ध्यानेन्द्र सिंह, बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य, ग्वालियर जिले के गांवों में हैण्ड पंप खराब होने से पेयजल संकट उत्पन्न होने की ओर राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामदास उईके, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम सतनूर के पास नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,
(ख) ग्राम बुधवारा में तालाब का निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम सजवा में स्टाप डेम बनाये जाने,
(घ) वनग्राम महलारी में स्टाप डेम बनाये जाने,
(ङ) ग्राम कन्हरगांव, मोरडोगरी-खुर्द, घानाउमरी एवं लावाघोघरी में विद्युत उप-केन्द्र स्थापित किये जाने,
(च) ग्राम खंसवाड़ा से मानकादेही खुर्द तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड बनाये जाने,
(छ) ग्राम जंबाकिराड़ी में माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कराये जाने,
(ज) ग्राम गुजरघाट के पास नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,
(झ) ग्राम डोडिया से हीरावाड़ी तक सडक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ञ) ग्राम हीरावाड़ी से धगड़िया तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड बनाये जाने, तथा
(ट) ग्राम टोटकादेई में प्राथमिक शाला खोले जाने,

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के-

(क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज को सर्व सुविधायुक्त 100 बिस्तर का अस्पताल बनाये जाने,
(ख) गोकुल ग्राम लासा एवं कैलाशपुर पटेहरा में स्थित विद्यालयों का हायर सेकेण्डरी तक उन्नयन कराये जाने,
(ग) ग्राम पिपराही में हेल्थ सेन्टर संचालित कराने, तथा
(घ) ग्राम तेंदुआ बैलान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सदस्य, पन्ना जिले के -

(क) विकास खंड शाहनगर में कृषि उपज मंडी की स्थापना कराये जाने,
(ख) ग्राम कोनी से जैतपुर तक सड़क बनाये जाने, तथा
(ग) विकासखंड पवई में कृषि उपज मंडी की स्थापना कराये जाने,

(4) श्री पारस जैन, सदस्य, उज्जैन जिले के -

(क) इन्द्रा नगर में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,
(ख) हीरा मिल की चाल से फ्रीगंज स्थित जीरो पाइंट तक पुल निर्माण कराये जाने, तथा
(ग) आगर रोड से पिंगलेश्वर होते हुए कानीपुरा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(5) श्री रविन्द्र सुका महाजन, सदस्य, बुरहानपुर जिले के -

(क) ग्राम सावली से खकनार तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ख) ग्राम पांढरी से तुकईथड तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ग) ग्राम दैयत से परेढ़ा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(घ) ग्राम शेखपुरा व अन्य ग्रामों में विद्युत लाईन एवं ट्रांसफार्मर लगाये जाने,
(ङ) ग्राम नागझिरी से डोईफोडिया तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(च) ग्राम लोखंडिया से डोईफोडिया तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(छ) ग्राम ताजनापुर से डोईफोडिया तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ज) शाहपुर क्षेत्र में अमरावती नदी पर पुल बनाये जाने,
(झ) ग्राम सिरपुर में उतावली नदी पर पुल निर्माण कराये जाने, तथा
(ञ) ग्राम नाचनखेड़ा से शाहपुर तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(6) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम खेड़ी से सिवना पुल तक सड़क बनाये जाने,

(7) श्री ताराचन्द गोयल, सदस्य, उज्जैन जिले के तराना से बरखेड़ा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(8) श्री जुगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम भुमकहर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(ख) ग्राम खाम्हा खूजा से रैगांव तक पहुंच मार्ग एवं भुमकहर नाले पर पुल बनाये जाने, तथा

(ग) भुमकहर स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने एवं स्कूल भवन का निर्माण कराये जाने,

(9) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय, सदस्य, सीहोर जिले के -

(क) ग्राम गवाखेड़ा से इंदौर-भोपाल राष्ट्रीय राज मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम छापर में कन्या माध्यमिक शाला का निर्माण कराये जाने, तथा

(ग) ग्राम छापर में बने बांध से नहर निकाले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. राज्यमंत्री खनिज साधन का वक्तव्य

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री खनिज साधन, दिनांक 12 जुलाई, 2004 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्रमांक 2039) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
2 घन्टे	(1)	मांग संख्या - 44	उच्च शिक्षा
		मांग संख्या - 47	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
		मांग संख्या - 55	महिला एवं बाल विकास
		मांग संख्या - 87	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
1 घन्टा	(2)	मांग संख्या - 21	आवास एवं पर्यावरण
		मांग संख्या - 73	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
1 घन्टा	(3)	मांग संख्या - 25	खनिज साधन
		मांग संख्या - 26	संस्कृति
		मांग संख्या - 35	पुनर्वास
		मांग संख्या - 46	विज्ञान एवं टेक्नॉलाजी
		मांग संख्या - 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व
		मांग संख्या - 92	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-संस्कृति
1 घन्टा 30 मि.	(4)	मांग संख्या - 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
1 घन्टा	(5)	मांग संख्या - 36	परिवहन
		मांग संख्या - 72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास
30 मि.	(6)	मांग संख्या - 16	मछलीपालन

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2005 (क्रमांक 3 सन् 2005) का पुरःस्थापन * करेंगे.

8. अशासकीय संकल्प

1 घन्टा

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी एवं अपराधों में वृद्धि आदि समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिये धर्म, जाति एवं वर्ग से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को सामने रखकर दो बच्चों के बाद आवश्यक रूप से परिवार नियोजन कराने के लिये राष्ट्रीय कानून बनाया जाये.".

45 मि.

(2) पं. रमेश दुबे, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि छिन्दवाड़ा नगर में चार फाटक रेल्वे क्रासिंग पर ओव्हर-ब्रिज मार्ग का निर्माण किया जाये.".

45 मि.

(3) श्री अजय विश्नोई, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जबलपुर से कोटा तथा कोटा से जबलपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम दयोदय एक्सप्रेस रखा जाये.".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक 10 मार्च, 2005

*** मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.**